

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

हरिसिंह लम्बोरा, निवासी 80, बृजराज
इन्कलेव, पांच्यावाला, जयपुर, 302034

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली
जिला पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 07/2019

R.C.M.S. No. --2019/00075

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/4/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली द्वारा अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचना न देकर अपीलाण्ट के वेतनवृद्धि के दस्तावेज भेजे है तथा अन्य वांछित सूचना न देकर भ्रमित करने की कोशिश करने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलाण्ट व रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 3/5/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>511-12 25/4/19</p>
3-5-19	<p>रेस्पों की ओर से लिपिक RTI उपरो। सम्बन्धित लिपिक को बिन्दु सं० ② व ③ की सूचना जो RTI प्रार्थना पत्र में संकेत है उसकी आगामी येशी दिनांक 10/5/19 से पूर्व उपलब्ध करा देवु दिनांक की गैर पत्रावली 10/5/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>(3/5/19) WPC</p>
10/5/19	<p>रेस्पों की ओर से RTI लिपिक उपरो। सम्बन्धित लिपिक द्वारा सूचना अपीलाण्ट को प्रेषित की गई उत्तर पत्र की परिप्रेक्ष्य की है जिसेके अनुसार अपीलाण्ट को सूचना प्रेषित कर दिए जाने से यह अपील प्रभावी नहीं रही इस लिए अपील अपीलाण्ट निरस्त की जाती है। पत्रांक: 200 लो. सू. सं. 19/998 दिनांक 3-5-2019 शाश्वत पत्रावली बिया जाये। अपील अपीलाण्ट किसी भी प्रकार की कार्यवाही को प्रोत्साहित नहीं होने से अपील निरस्त की जाती है। पत्रावली इस आशय से सुभाष फंसल की आकर नम्बर से कर दी।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर पाली (सिज.)</p>	